संख्या-20/2026/119/छप्पन-2026-153/2000

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2026

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412 EP VT-UPK के Air Condition से सम्बन्धित Spares क्रय के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3841/ना0उ0नि0/इंजी(यू0पी0के0-13-आई/2025 दिनांक 27 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412EP VT-UPK हेतु Air Condition Condenser Blower, Part No. ES73151-11**,** AFT Evaporotor Motor, Part No. ES61060-4 एवं Blower Wheel RH, Part No**.**ES73100-8 को हेलीकाप्टर के Air Condition से सम्बन्धित स्पेयर्स निर्माता फर्म M/s ACE Thermal Systems, Customer Relations Specialist 14903 Grant St. Suite #110 Thornton, CO 80023 से क्रय करने पर होने वाले व्यय USD 64,691.00 जोकि भारतीय मुद्रा में रू0 91/- प्रति यू०एस० डालर की विनिमय दर से कुल रू0 58,86,881.00 (रूपये अट्ठावन लाख छियासी हजार आठ सौ इक्यासी) मात्र होता है**,** के व्यय की प्रशासनिक**,** वित्तीय स्वीकृति एवं फर्म को उक्त धनराशि का क्रयादेश निर्गत करने की स्वीकृति तथा फर्म को क्रयादेश निर्गत किये जाने के उपरान्त प्राप्त प्रोफार्मा इन्वाइस के आधार पर अग्रिम आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412EP VT-UPK हेतु Air Condition Condenser Blower, Part No. ES73151-11**,** AFT Evaporotor Motor, Part No. ES61060-4 एवं Blower Wheel RH, Part No**.**ES73100-8 को हेलीकाप्टर के Air Condition से सम्बन्धित स्पेयर्स निर्माता फर्म M/s ACE Thermal Systems, Customer Relations Specialist 14903 Grant St. Suite #110 Thornton, CO 80023 से क्रय करने पर होने वाले व्यय USD 64,691.00 जोकि भारतीय मुद्रा में रू0 91/- प्रति यू०एस० डालर की विनिमय दर से कुल रू0 58,86,881.00 (रूपये अट्ठावन लाख छियासी हजार आठ सौ इक्यासी) मात्र होता है**,** के व्यय की प्रशासकीय**,** वित्तीय स्वीकृति एवं फर्म को उक्त धनराशि का क्रयादेश निर्गत करने की स्वीकृति तथा फर्म को क्रयादेश निर्गत किये जाने के उपरान्त प्राप्त प्रोफार्मा इन्वाइस के आधार पर अग्रिम आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति एवं फर्म को क्रयादेश निर्गत किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/ वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय" में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-E-7-175-X-2025-26-दिनांक:18-2-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 20/2026/119(1)/छप्पन-2026-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।